I/198813/2024

संख्या : / XVII-C -1 / 24–03(24) / 23

प्रेषक

दीपेन्द्र कुमार चौधरी
सचिव
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में

निदेशक
सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास विभाग
देहरादून।

सैनिक कल्याण अनुभाग **देहरादून : दिनांक : मार्च, 2024**

विषयः– शौर्य स्थल (सैन्यधाम) के निर्माण कार्य हेतु बजट आवंटन के सम्बन्ध में।

महोदय

उपर्युक्त विषयक अपने कार्यालय पत्र संख्या–3012 / शौ0स्थ0(सैन्यधाम) / सै.क.–3 / 895 दिनांक 22.02.2024 जिसके द्वारा शौर्य स्थल (सैन्यधाम) के निर्माण कार्य को तय सीमा में पूर्ण किये जाने हेतु अवशेष धनराशि रू0 1635.95 लाख उपलब्ध कराये जाने का प्रस्ताव किया गया है, का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करे।

2– इस संदर्भ में अवगत कराना है कि जनपद–देहरादून के राजपुर रोड स्थित गुनियाल गांव में निर्माणाधीन शौर्य स्थल (सैन्यधाम) के निर्माण कार्य को तय सीमा में पूर्ण किये जाने के निमित्त वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या–154 / 09(150)2020 / XXVII(1) / 24 दिनांक 06.03.2024 **(छायाप्रति संलग्न)** (बजट आवंटन आई.डी.–S24030070033 भी संलग्न) में SASCI 2023-24 Part-I (Untied) के द्वारा रूपये 51.75 लाख की धनराशि को नियमानुसार व्यय हेतु स्वीकृत किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

3– अतः इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या–154 / 09(150)2020 / XXVII(1) / 24 दिनांक 06.03.2024 के माध्यम से स्वीकृत धनराशि का नियमानुसार व्यय निम्नांकित शर्तों / प्रतिबन्धों के अधीन वर्तमान वित्तीय वर्ष 2023–24 में किये जाने हेतु श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः–

1. **उक्त परियोजना की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के क्रम में अवशेष धनराशि रू0–1635.95 लाख के सापेक्ष शासनादेश संख्या–421 / XVII-C-1 / 2024–6(10)2024, दिनांक 12 मार्च, 2024 के माध्यम से रू0 900.00 लाख (रूपये नौ करोड मात्र) स्वीकृत किये गये है। कार्यदायी संस्था को शेष धनराशि रू0–735.95 लाख (रूपये सात करोड पैंतीस लाख पिच्चानवें हजार मात्र) अवमुक्त की जानी शेष है, उक्त शेष धनराशि रू0–735.95 लाख में से कंटीन्जेसी चार्ज (Contingencies Charges) जो कार्यदायी संस्था को अनुमन्य हो, को रोकते हुये शेष धनराशि कार्यदायी संस्था को नियमानुसार व्यय हेतु अवमुक्त की जायेगी तथा शासनादेश संख्या–154 / 09(150)2020 / XXVII(1) / 24 दिनांक 06.03.2024 के माध्यम से स्वीकृत धनराशि में से उपरोक्तानुसार स्वीकृति के पश्चात् शेष धनराशि को उक्त कार्य के सापेक्ष विभागीय बजट से राज्य सरकार द्वारा वहन की गयी धनराशि की प्रतिपूर्ति हेतु कोषागार में सुसंगत प्राप्ति शीर्षक में समायोजित किया जायेगा।**
2. उपरोक्तानुसार कंटीन्जेसी चार्ज (Contingencies Charges) को धरोहर राशि के रूप में रखते हुये परियोजना पूर्ण होने पर विभाग द्वारा Handover & Takenover परियोजना हस्तान्तरण के समय निदेशक, सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास विभाग की संस्तुति पर अवमुक्त किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।
3. प्रतिमाह के अन्त में व्यय विवरण बी0एम0–13 पर एवं उपयोगिता प्रमाण–पत्र तथा किये गये कार्यो का प्रगति विवरण नियमित रूप से शासन को अविलम्ब 20 तारीख तक प्रत्येक दशा में उपलब्ध कराया जायेगा और महालेखाकार से समय–समय पर आंकडों का मिलान करा लिया जाय।

Generated from eOffice by RAHUL SUNDRIYAL, RO-RS, REVIEW OFFICER, Soldier Welfare Department on 15/03/2024 11:51 AM

I/198813/2024

4. उक्त परियोजना की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति संबंधी शासनादेशों में वर्णित समस्त शर्तों/प्रतिबन्धों का पालन किया जाय। स्वीकृत धनराशि का आहरण आवश्यकतानुसार किया जाय। आहरण से सम्बन्धित बिल बाउचर संख्या एवं दिनांक की सूचना शासन एवं महालेखाकार को आहरण के तुरन्त बाद उपलब्ध करायी जाय। **उक्त धनराशि को दिनांक 31.03.24 तक उपयोग करते हुए GFR 2017 के Form-12-B प्रारूप पर उपयोगिता प्रमाण पत्र नियोजन विभाग के माध्यम से वित्त विभाग को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।**
5. स्वीकृत की गयी धनराशि उसी कार्य विशेष पर व्यय की जायेगी, जिसके लिये स्वीकृत की जा रही है। व्यय करते समय मितव्ययता सम्बन्धी आदेशों, उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2017 (यथा संशोधित) तथा बजट मैनुअल एवं अन्य सुसंगत नियमों/शासनादेशों का अनुपालन अवश्य करा लिया जाय। स्वीकृत धनराशि से अधिक व्यय कदापि न किया जाय तथा एक मद की धनराशि दूसरे मद में कदापि व्यय न की जाय। मद परिवर्तन का अधिकार विभाग के पास नहीं होगा।
6. कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व विस्तृत आगणन/मानचित्र पर सक्षम अधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी आवश्यक होगी।
7. जियोटेगिंग अनिवार्य रूप से करायी जाय। कार्य करने से पूर्व समस्त औपचारिकतायें तकनीकी दृष्टि को मध्यनजर रखते हुए एवं विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों को ध्यान में रखते हुए निर्माण कार्य को सम्पादित करना सुनिश्चित किया जाए।
8. निर्माण सामग्री को उपयोग में लाने से पूर्व सामग्री का परीक्षण प्रयोगशाला से अवश्य करा लिया जाये तथा विशिष्टियों के अनुरूप सामग्री ही प्रयोग में लायी जाये।
9. विस्तृत आगणन में प्राविधानित डिजाईन एंव मात्राओं हेतु सम्बन्धित कार्यदायी संस्था पूर्णरूप से उत्तरदायी होगी।
10. स्वीकृत विस्तृत आगणन के प्रावधानों एवं तकनीकी स्वीकृति के आगणन के प्रावधानों में परिवर्तन (केवल अपरिहार्य स्थिति की दशा में ही) करने से पूर्व सक्षम अधिकारी की सहमति अनिवार्य रूप से प्राप्त कर ली जाय।
11. मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या–2047/XIV–219(2006), दिनांक 30.05.2006 द्वारा निर्गत आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। व्यय में मितव्ययिता के दृष्टिगत् वित्त विभाग के शासनादेश संख्या–111469/09(150)/2019/XXVII(1)/2023 दिनांक 31.03.2023, शासनादेश संख्या I/67149/2022 दिनांक 29.09.2022 एवं समय–समय पर निर्गत अन्य समस्त शासनादेशों/आदेशों/वित्तीय नियमों एवं अधिप्राप्ति नियमावली, 2017 (यथासंशोधित) के प्रावधानों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
12. अवमुक्त की जा रही धनराशि का पूर्ण उपयोग दिनांक 31.03.24 तक कर लिया जायेगा। स्वीकृत की जा रही धनराशि के सापेक्ष वित्तीय/भौतिक प्रगति का विवरण/उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को उपलब्ध कराया जाय।
13. कार्यदायी संस्था द्वारा उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ ब्याज के संबंध में सूचना उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में वित्त अनुभाग–1, उत्तराखण्ड शासन के पत्र संख्या–FINI-8/8.2/5/2022-XXVII-1 Finance Department (Computer No. 21535) दिनांक 03.11.2022 में प्रदत्त निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।
14. निर्माण कार्य की तृतीय पक्ष गुणवत्ता परीक्षण अवश्य सुनिश्चित किया जाए। Reinforcement एवं अन्य Hidden Work की Record Measurement के साथ–साथ फोटो/वीडियोग्राफी भी अवश्य कराई जाए। कार्य कराये जाने से पूर्व भवनों की पुनरीक्षित स्ट्रक्चरल डिजाइन/ड्राइंग तथा आन्तरिक एवं पहुंच मार्ग के Pavement का किसी मान्यता प्राप्त संस्था से वैट करा लिया जाय। साथ ही आर0सी0सी0 रिटेनिंग वॉल/स्टोन मैसोनरी रिटेनिंग वॉल के डिजाइन का भी किसी मान्यता प्राप्त संस्था से वैट अवश्य कराया जाए।

Generated from eOffice by RAHUL SUNDRIYAL, RO-RS, REVIEW OFFICER, Soldier Welfare Department on 15/03/2024 11:51 AM

I/198813/2024

15. आगणन में जिन मदों की दरें शिड्यूल ऑफ रेट्स में उपलब्ध नही है उन मदों की सामग्री की दरों को जैम/बाजार से नियमानुसार प्राप्त कर, दर विश्लेषित करते हुए सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त ही उन मदों को नियमानुसार कार्य कराया जाए। योजना कियान्वयन में Cost Effectiveness के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाए। योजना कियान्वयन हेतु सभी आवश्यक नियम एवं विनियमों को अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। पुनरीक्षित आगणन के फलस्वरूप कार्यदायी संस्था से एम0ओ0यू0 अवश्य सम्पादित कराया जाये।
16. परियोजना की लागत पुनरीक्षित होने के फलस्वरूप वास्तुविद् आदि की Fee के सम्बन्ध में दिनांक 22.12.2021 को व्यय वित्त समिति की बैठक में दिये गये निर्देशों का अनुपालन किया जाए। परिसर में स्वतः स्वच्छता की निरन्तर व्यवस्था हेतु प्रावधान अवश्य किये जाए। परिसर में अग्नि सुरक्षा एवं विद्युतीकरण के प्रावधानों का विशेष ध्यान रखा जाय। समस्त विद्युत उपकरणों हेतु आई0ई0सी0–62561–7 के मानकों के अनुपालन में Earthing का कार्य तथा अशासकीय विद्युत से बचाव हेतु Lightning protection system IEC62305 मानकों के अनुरूप स्थापित किया जाय।

4– यह आदेश वित्त अनुभाग–1 के शासनादेश संख्या–154/09(150)2020/XXVII(1)/24 दिनांक 06.03.24 में प्रदत्त सहमति (छायाप्रति संलग्न) के अनुक्रम में जारी किया जा रहा है।

संलग्न–यथोक्त।

भवदीय

(दीपेन्द्र कुमार चौधरी)
सचिव।

संख्या– /XVII-C-1/24–3(24)2023, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1 महालेखाकार (उत्तराखण्ड) देहरादून।
2 वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, देहरादून।
3 बजट निदेशालय, देहरादून।
4 प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड पेयजल निगम, देहरादून।
5 परियोजना प्रबन्धक, निर्माण विंग, पेयजल निगम, देहरादून (कार्यदायी संस्था)।
6 वित्त अनुभाग–01, उत्तराखण्ड शासन।
7 निदेशक, एन0आई0सी0, देहरादून।
8 गार्ड फाईल।

आज्ञा से

(निर्मल कुमार)
अनुसचिव।

Generated from eOffice by RAHUL SUNDRIYAL, RO-RS, REVIEW OFFICER, Soldier Welfare Department on 15/03/2024 11:51 AM